बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20222023-41-1099-132-2022-24-Budget-2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के अवशेष माहों के व्यय को वहन हेतु सम्बन्धित मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
044	54528010446- (वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण)	24-वृहत निर्माण कार्य	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	60,91,11,688 रुपये साठ करोड़ इक्यानवे लाख ग्यरह हजार छह सौ अट्ठासी मात्र	7,44,00,000 रुपये सात करोड चावलीस लाख मात्र	7,44,00,000 रुपये सात करोड चावलीस लाख मात्र	92,56,00,000 रूपये बयान्वे करोड़ छप्पन लाख मात्र	2022-2023
कुल					रू0 7,44,00,000	रू0 7,44,00,000		

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	5452801043400 गोरखप स्थित रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस का विकास	24- (वृहत निर्माण कार्य मद)	0	7,44,00,000 रुपये सात करोड चावलीस लाख मात्र	7,44,00,000 रुपये सात करोड चावलीस लाख मात्र	7,44,00,000 रुपये सात करोड चावलीस लाख मात्र	2022-2023
				रू0 7,44,00,000	रू0 7,44,00,000		

उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

1. वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण के मद संख्या-46 के अन्तर्गत रू0 10,000.00 लाख में से रू0 3908.88 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है एवं इस मद में रू0 744.00 लाख की बचत सम्भावित है।
2. उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में मद संख्या-34- गोरखप स्थित रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस का विकास मद में क्रियान्वित योजनाओं संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया है, जिसके फलस्वरूप क्रियान्वित योजनाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।
4. पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।
5. पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/ बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा
6. पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।
7. पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोपराइटरी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संख्या:RE-budget-1-315-E-7-270-X-2022-23- दिनांक: 06-02-2023

सेवा में,
महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव),
अनु सचिव।

(आलोक दीक्षित),
विशेष सचिव।

संख्या-98/2023/आई/274332/41-1099-132-2022-24-Budget-2017, दिनांक 14 फरवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in